

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना।

पटना, दिनांक:-

28-3-18

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
अगस्त,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
सितम्बर,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
अक्टूबर,2017	287	4.63 X 4.93	6551.03
नवम्बर,2017	288	4.63 X 4.93	6573.85
दिसम्बर,,2017	286	4.63 X 4.93	6528.20
योग :-			39169.22

$$\text{औसत} - 39169.22 \div 6 = 6528.20$$

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम एवं अधिसूचना संख्या-4831, 4832 दिनांक-15.09.2017
(12 नियोजन) गजट संख्या-856 दिनांक-19.09.2017

1.पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने का कार्य 2. बीड़ी निर्माण 3. ईंट निर्माण 4. हेयर कटिंग शैलून 5. लादने एवं उतारने के कार्य 6. वन का संचालन तथा लकड़ी बनाने के कार्य 7. असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टैपुल धागों से निर्माण सहित सिल्क उद्योग 8. मिट्टी काटने के कार्य 9. चाय बगान 10. लाह निर्माण 11. पावरलूम इंडस्ट्रीज (बिजली करघा) 12. केन्दु पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने।

क्रम सं०	कामगारों की श्रेणी एवं मात्रानुपाती कार्य।	दिनांक-01.12.2016 +01.04.2017+ 01.10.2017 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.04.2018 से प्रभावी होगी। (रुपये में)	दिनांक- 01.04.2018 से लागू कुल मजदूरी की दरें (स्तंभ 3+4) (रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के कार्यों : - (सामान्य कार्य)			
1.	अकुशल -	237.00+5.00+5.00=247.00	7.00	254.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल-	247.00+5.00+5.00=257.00	8.00	265.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00=313.00	9.00	322.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00=381.00	11.00	392.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/पर्यवेक्षीय	6799.00+136.00+139.00 =7074.00	212.00	7286.00 प्रतिमाह
i.	खदान से निकालना एवं बैल गाड़ी से ढोना-(प्रति 100 घनफीट)			
(क)	1/4 मील के अन्दर और वहां तक	515.00+10.00+10.00=535.00	16.00	551.00
(ख)	प्रत्येक 1/4 मील के उपर ढोने के लिए।	118.00+2.00+2.00=122.00	4.00	126.00
ii-	माइनिंग ट्रौली तोड़ने और परिवहन ट्रौली द्वारा। (प्रति 25 घनफीट कटाव)	128.00+3.00+3.00=134.00	4.00	138.00
iii-	वोल्डर्स बेली तोड़ने वाला (प्रति 100 घनफीट)	128.00+3.00+3.00=134.00	4.00	138.00
iv-	बोल्डर्स ब्लास्ट तोड़ने वाला (प्रति 100 घनफीट)			
(क)	2" x 3"	268.00+5.00+5.00=278.00	8.00	286.00
(ख)	2" x 2½"	332.00+7.00+7.00=346.00	10.00	356.00
(ग)	1½" x 2"	400.00+8.00+8.00=416.00	12.00	428.00
(घ)	1"	659.00+13.00+13.00=685.00	21.00	706.00
v-	निज तौलाई से ब्लास्ट तोड़ने वाला (प्रति 5 फीट का बक्सा)	42.80+0.87+0.87=47.53	1.42	48.95
vi-	चिप्स तोड़ने वाला (प्रति घनफीट)			
(क)	हाथ द्वारा बनाई गई 3/4" डाउन चर्ची।	21.40+0.42+0.42=22.24	0.67	22.91
(ख)	हाथ द्वारा बनाई गई 1" डाउन चर्ची।	21.40+0.42+0.42=22.24	0.67	22.91
vii	मिट्टी काटने वाला-			
(क)	मुलायम मिट्टी के लिए प्रति 90 घनफीट	237.00+5.00+5.00=247.00	7.00	254.00
(ख)	कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 75 घनफीट	237.00+5.00+5.00=247.00	7.00	254.00
(ग)	अति कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 60 घनफीट	237.00+5.00+5.00=247.00	7.00	254.00
नोट:- महिला कामगारों के लिए 15 प्रतिशत कम मिट्टी काटने का निर्णय, परन्तु मजदूरी समान रूप से पायेंगे।				